रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 1984/चैत्र 7, 1906
No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 1984/CHAITRA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

सा० का० नि० 229 (अ) —राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं० आ० 118

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1984

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात्—

1 इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1984 है।

2 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3 (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार—

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (6) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तम्भों में वर्णित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन

संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों पर 1 अप्रैल, 1983 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जो राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए है :—

सारणी

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए				
	न्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन	स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण और खजाना प्रशासन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश . .	10.79	—	57.65	42.00	—
असम . . .	21.49	306.49	—	37.86	—
बिहार . . .	77.89	1437.23	213.92	—	14.54
हिमाचल प्रदेश . .	0.77	324.31	—	24.14	10.00
जम्मू-कश्मीर . .	1.50	740.52	22.50	157.17	—
केरल . . .	—	171.31	—	33.55	—
मध्य प्रदेश . .	1.53	2224.28	266.62	590.50	13.11
मणिपुर . .	4.07	172.47	12.86	100.00	—
मेघालय . . .	—	166.62	—	—	—
नागालैण्ड . . .	—	43.93	—	26.60	—
उड़ीसा . .	51.73	328.28	76.19	358.75	—
राजस्थान . . .	63.37	308.82	—	214.82	20.88
सिक्किम . . .	—	34.75	7.00	—	—
तमिलनाडु . .	—	336.43	—	23.14	—
त्रिपुरा . .	—	107.78		35.92	—
उत्तर प्रदेश . . .	48.52	910.95	379.30	653.95	88.34
पश्चिमी बंगाल . .	—	90.48	—	112.00	—

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उक्त वर्ष के लेखाओं में प्रकट होता है, उक्त प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है इस प्रकार अधिक संदत्त रकम ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित की जाएंगी जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए ।

(ख) इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल, 1979, 1980, 1981, 1982 और 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों में, उस प्रत्येक राज्य द्वारा नए उधार लेने और उधार देने के कारण संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1981, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश 1982 और संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1983 के अधीन शुद्ध

ब्याज दायित्व के संबंध में संदत्त अनुदानों का हिसाब में लेने के पश्चात् सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां है.—

सारणी

राज्य	(लाख रुपयों में)
हिमाचल प्रदेश	169.40
जम्मू और कश्मीर	3396.94
मणिपुर	340.03
मेघालय	146.85
नागालैण्ड	393.16
उड़ीसा	4157.00
सिक्किम	95.19
त्रिपुरा	433.78

परन्तु यदि उन वर्षों के खातों में प्रकट किए गए वास्तविक उधार लेने और उधार देने के अंक या उधार लेने पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदानों के अवधारण करने में हिसाब में लिए गए सुसंगत अंकों से भिन्न हैं, तो इस प्रकार संदत्त अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के प्रति, जो उसी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी पश्चात्वर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी।

(2) 1 अप्रैल, 1983 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उपपैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां उस राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी या होंगी जो संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1979 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसरण में उक्त वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय हो।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति।"।

[सं० फा० 1०(2)/84-एल० - I]
र० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1984

G.S.R. 229 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 118

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1984

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1984.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1983, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

State	For upgradation of standards relating to				
	Judicial adminis-tration	Police adminis-tration	Jail adminis-tration	Revenue, District and Tribal adminis-trations	Stamps, Registration and Treasury adminis-trations
	(Rs in lakhs)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	10.79	..	57.65	42.00	..
Assam	21.59	306.49	..	37.86	..
Bihar	7.39	1137.23	213.92	..	14.54
Himachal Pradesh	0.77	324.31	..	24.14	10.00
Jammu and Kashmir	1.30	740.52	22.50	157.17	..
Kerala	..	171.31	..	33.55	..
Madhya Pradesh	1.53	2224.28	266.62	590.50	13.11
Manipur	4.07	172.47	12.86	100.00	..
Meghalaya	..	166.62	..	..	..
Nagaland	..	43.93	..	26.60	...
Orissa	51.73	328.28	76.19	358.75	..
Rajasthan	63.37	308.82	..	214.82	20.88
Sikkim	..	34.75	7.00	..	..
Tamil Nadu	..	336.43	..	23.14	..
Tripura	..	107.78	..	35.92	..
Uttar Pradesh	48.52	910.96	379.30	653.95	88.34
West Bengal	..	90.48	..	112.00	...

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration, as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial years commencing on the 1st day of April, 1979, 1980, 1981, 1982 and 1983 after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981, the Constitu-

tion (Distribution of Revenues) Order, 1982 and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1983 as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State (1)	(Rs. in lakhs) (2)
Himachal Pradesh	169.40
Jammu and Kashmir	3396.94
Manipur	340.03
Meghalaya	146.85
Nagaland	393.16
Orissa	4157.00
Sikkim	95.19
Tripura	433.78

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of those years, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (*a*) and (*b*) of sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1983 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

ZAIL SINGH,
President.".

[F. 19(2)/84-L. I]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

1614 GI/83—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984